[लोक सभा द्वारा 28.12.2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 247-सी

[दि मुस्लिम वुमैन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2017 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है ; 2000 का 21

(ख) "तलाक" से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद है ; और

(ग) "मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां कोई विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है । 1974 का 2

अध्याय 2

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

तलाक का शून्य और अवैध होना ।

3. किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखित हों या इलैक्ट्रानिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में हो, चाहे कोई भी हो, तलाक की उदघोषणा शून्य और अवैध होगी ।

तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड ।

4. जो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उदघोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 3

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता ।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उदघोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं उसके और आश्रित बालकों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए ।

अवयस्क बालकों की अभिरक्षा ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उदघोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपने अवयस्क बालकों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी ।

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उक्त संहिता के अर्थान्तर्गत संज्ञेय और अजमानतीय होगा । 1974 का 2

GMGIPMRND—3265LS(CRC)—28-12-2017.